

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

06 कर्णप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से  
निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने  
वाला शपथपत्र

मैं नीलम चन्द्र पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री कुमावत आयु 31 वर्ष,  
पति जसवारा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा  
करता हूँ/करती हूँ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ....

एसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त  
हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं..... नहीं.....

पुलिस थाना (थाने)..... नहीं..... जिला(जिले)..... नहीं..... राज्य..... नहीं.....

संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके  
लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... नहीं.....

न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... नहीं.....

तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे..... नहीं.....

क्या सभ्य या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... नहीं.....

किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या  
उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ब्रह्मण्य  
नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी  
प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... नहीं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... नहीं.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... नहीं..... जिला (जिले)..... नहीं..... राज्य..... नहीं.....


(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण  
जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... नहीं.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... नहीं.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं..... नहीं.....

स्थान : गोपेश्वर

तारीख : 07/11/12



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अपराध (अपराधों) (लोक प्रतानाधत्व अधिनियम, 1951 (1951, 1951), का...

में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भय के लिए सिद्धदोष ठहराया नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) नामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... लोहरा नदी
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... लोहरा नदी
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... लोहरा नदी राज्य लोहरा नदी
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लोहरा नदी
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... लोहरा नदी
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकें गया है/ रोकें गए हैं..... लोहरा नदी

स्थान : गोपेश्वर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख : 06/01/12

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

गोपेश्वर.....स्थान पर आज तारीख ....06/01/12..... को सत्यापित किया।



टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लाने नहीं है, काट दिया जाए।

The donee  
Sworn by

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Meelam Chand  
SUL  
06/01/2012